33

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2013 निगरानी

2.3301-III/13

1- अशोक,

2- सुखचंद्र

पुत्रगण सिरनाम सिंह, निवासीगण ग्राम सेराई, तहसील-चन्देरी, जिला अशोकनगर-मध्यप्रदेश।

3- आसमबाई पुत्री सिरनाम सिंह पत्नी-पहलवान सिंह, निवासिन ग्रामसलोनाचक, तहसील-चन्देरी, जिला अशोकनगर-मध्यप्रदेश।

4- रामकुमारी पुत्री सिरनाम सिंह पत्नी बृजभान सिंह, निवासिन ग्रामपाकरोद तहसील ईसागढ़, जिला- अशोकनगर-मध्यप्रदेश।

----- प्रार्थीगण

विरुध्द

सिरनाम सिंह पुत्र हरनाम सिंह, निवासी ग्राम सेराई, तहसील चन्देरी जिला-अशोकनगर-मध्यप्रदेश।

---- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय चन्देरी दिनांक 4-7-13, अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959, प्र०क्र० 22-12-13अपील।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

2- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है।

3- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय का आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है क्योंकि वह स्वयं बोलता हुआ आदेश नहीं है।

4- यह कि, अपील को समयावधि में माने जाने का [illegible]

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.3301-4/13 जिला अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.2.16.	आवेदक स्वयं उप० . अना. अपने अभि. श्री बी.एस. धालवड़ के साथ उप०। आवेदक द्वारा लिखित में सूचित किया कि वह अब आगे अपने प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं करना चाहता क्योंकि पक्षों में आपसी राजीनामा हो चुका है। आवेदक व अनावेदक ने आवेदक द्वारा [illegible] निवेदन की पुष्टि की। विचारउपरान्त आवेदन स्वीकार किया जाता है और प्रकरण [illegible] किया जाता है। [हस्ताक्षर] सदस्य	मैं आवेदक अशोक अपने पिता अना. किरनाम सिंह से ~~अपनी~~ सहमति से राजीनामा कर लिया है, इसलिए अब मैं प्रकरण आगे नहीं चलाना चाहता हूँ अशोक किरनाम सिंह Identified by me [signature] (B.S. Dhalwal) Adv.

[कृ. प. उ.